Part XIII— Freedom fighters

सरकारी सेवा में नियुक्त स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन प्रदायी सेवा में वृद्धि।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

विषय:— सरकारी सेवा में नियुक्त स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन प्रदायी सेवा में वृद्धि।

बिहार राज्य स्वतन्त्रता सेनानी सेवा संघ ने राज्य सरकार के समक्ष एक अभिवेदन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया था कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जो राज्य सरकार के अधीन सेवारत हैं, की सेवा-निवृत्ति आयु बढ़ाकर ६३ वर्ष कर दी जाय।

२— राज्य सरकार ने संघ के उपर्युक्त अभिवेदन पर सावधानी पूर्वक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी जो तत्कालीन राजनीति विभाग (विशेष) (शाखा) सम्प्रति गृह विभाग (विशेष) (शाखा) के पत्र संख्या—२३७ ए (१२४) / ५०-सी०-१४६७ दिनांक २२-१-१९५१ के आधार पर आयु शिथिलीकरण की सुविधा का उपभोगकर दिनांक ३१-१२-१९५१ को या उसके पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त हुए, उनको अपनी वार्धक्य पेंशन(Superannuation pension) प्रदायी अवधि में, सेवा निवृत्ति पेंशन (किन्तु अन्य कोई कोटि के पेंशन के लिए नहीं) के प्रयोजनार्थ उतनी अवधि जोड़ दी जाय जो उनकी कुल वास्तविक सेवा की अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं हो, या उतनी वास्तविक अवधि जो इनके सरकारी सेवा में नियुक्त होने की तिथि को २५ वर्ष से अधिक हो गयी रहे या ५ वर्ष की अवधि, इनमें जो भी न्यूनतम हो।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार / सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्ष/ जिला दण्डाधिकारी / निबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह/– सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—३/ एम १-४०१/७६ का० ९३८१ पटना-१५, दिनांक ३० मई, १९७७।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला दण्डाधिकारियों निबन्धक, उच्च न्यायालय पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद / श्री के० डी त्रिवेदी, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी सेवायें, बिहार पटना (शान्ति निकेतन, बोरिंग कनाल रोड, पटना) को सूचनार्थ अग्रसारित।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक ३/एम १-४०१/७७ का ९३८१ पटना-१५ दिनांक ३० मई, १९७७।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि उसे राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित कर दें एवं उसकी १००० प्रतियां कार्मिक विभाग को भेज दें।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

अवकेश/

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग।

संकल्प

सं० का० ८८५ पटना १५ दिनांक १९ जनवरी १९७८

विषय:— सरकारी सेवा में नियुक्त स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन प्रदाई सेवा में वृद्धि।

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ३/एम १-४०१/७७ का० ९३८१ दिनांक ३०-५-७७ के द्वारा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो तत्कालीन राजनीति विभाग (विशेष शाखा) सम्प्रति गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्र संख्या २३७ ए (१२४) /५० सी-१४९७ दिनांक २९-१-१९५१ के आधार पर आयु शिथिलीकरण की सुविधा का उपभोग कर दिनांक ३१-१२-१९५१ को या उसके पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त हुये उनको वार्धक्य पेंशन (Superannuation pension) में कुछ अधिक अवधि जोड़ने की सुविधा दी गयी है, एवं इसमें ऐसी सुविधा उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध करायी गयी है जो सरकारी सेवा में दिनांक ३१-१२-१९५१ को या उसके पूर्व नियुक्त हुये। उपर्युक्त समयावधि के परिणाम स्वरुप प्रदत्त लाभ से वैसे व्यक्ति वंचित हो जाते हैं जिन्होंने गृह विभाग (विशेष शाखा) के १९५१ के परिपत्र के अनुसार आयु शिथिलीकरण की सुविधा उपभोग कर सरकारी सेवा के लिए आवेदन दिया, किन्तु विभिन्न प्रक्रियाओं के निर्वहन के चलते सरकारी सेवाओं में जिनकी नियुक्ति ३१-१२-५१ के बाद हुई। अतः राज्य सरकार ने पुनः विचार करते हुये निर्णय लिया है कि प्रस्तावित सुविधा उपर्युक्त संकल्प में यथा परिभाषित

संकल्प में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी दी जाएगी जो दिनांक ३१-१२-१९५१ को निर्धारित किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे या सामान्य चयन की प्रक्रिया से जिनकी नियुक्ति हुई हो, भले ही उसे प्रतियोगिता परीक्षा चयन द्वारा नियुक्ति ३१-१२-१९५१ के बाद हुई हो। इस विषय से संबंधित पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या १७८०० दिनांक २३-९-७७ रद्द किया जाता है।

२— वित्त विभाग का परामर्श लेकर इस संकल्प को निर्गत किया जा रहा है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ जिला दंडाधिकारी/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा एवं सचिव, बिहार विधान परिषद,को सूचनार्थ भेज दी जाय।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/एम १-४०१/७७ का ८८७/पटना—१५ दिनांक १९ जनवरी, १९७८।

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (पेंशन शाखा) महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/सभी जिला दंडाधिकारियों / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद / श्री के० डी० त्रिवेदी, अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी सेवा संघ बिहार शान्ति निकेतन बोरिंग कनाल रोड, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/एम १-४०१/७७ का० ८८५ पटना—१५ दिनांक १९ जनवरी, १९७८।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित, कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करें एवं उसकी ५०० प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दें।

(सच्चिदानन्द सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।